न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निग0 प्रकरण क्रमांक निग – 3067 – 16 / ज़िला - सिवनी

1- मिलेलाल पिता श्री दशरथ जाति गोंड
2- मिथियाबाई पिता श्री दशरथ जाति गोंड
निवासी ग्राम बम्हनी तहसी बरघाट
जिला सिवनी ----- आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, सिवनी म0प्र0 ---- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रकरण क्रमांक 34/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 14-6-2016 से व्यथित होकर ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, कलेक्टर, सिवनी के समक्ष आवेदकों द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया था कि आवेदकगण ग्राम सोलुवाकलां प.ह.नं. 01 में स्थित भूमि खसरा नं. 312/2 रकबा 1.23 हैक्टर के भूमिस्वामी हैं । वर्तमान में वे अन्य गाम में निवास करते हैं । उन्हें बच्चों के विवाह कार्य एवं मकान आदि हेतु पैसों की आवश्यकता है अत: उक्त भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाये । किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विधिवत विचार किए बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है ।

3- यहकि, कलेक्टर महोदय द्वारा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदन अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण तहसीलदार, को जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा जिस पर से तहसीलदार द्वारा जांच अपना प्रतिवेदन

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3067-एक/16 जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.9.16.	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 34/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 14-6-2016 से व्यथित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 165 के तहत आवेदन पेश कर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम सेलुवाकलां प.ह.नं. 01 तहसील बरघाट स्थित भूमि खसरा नं. 312/2 रकबा 1.23 हैक्टर को गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । कलेक्टर ने आवेदक को इस आधार पर कि प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि आवेदक ने भूमि विक्रय करने की अनुमति हेतु ठोस आधार दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किए हैं । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना	

R-3067, 8/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	है कि विक्रय हेतु आवेदित भूमि उनकी पैत्रिक संपत्ति है शासन द्वारा पट्टे पर नहीं दी गई है । आवेदक द्वारा अपने आवेदन एवं कथन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह अपने बच्चों के विवाह कार्य एवं मकान निर्माण हेतु भूमि का विक्रय करना चाहता है । उस पर भूमि विक्रय का कोई दबाव नहीं है तथा उसकी समाज के लोग भूमि क्रय नहीं कर रहे हैं इस कारण वह गैर आदिवासी को भूमि विक्रय कर रहा है । इसके उपरांत भी जिलाध्यक्ष द्वारा आवेदन निरस्त करना न्यायिक नहीं है । उक्त आधार पर उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । 3/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को आदिवासी/आवेदक के हितों के अनुरूप बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है । 3/ आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर पैत्रिक है । आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है इस कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा रही है । उक्त स्थिति को देखते हुए आवेदक द्वारा जो आधार भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने हेतु बताए गए हैं, उनके अनुसार आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की	

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3067-एक/16 जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	वैधानिक अड़चन नहीं है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है, इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पास यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिलाध्यक्ष का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-07-16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि स्थित ग्राम सेलुवाकलां प.ह.नं. 01 तहसील बरघाट स्थित भूमि खसरा नं. 312/2 रकबा 1.23 हैक्टर गैर आदिवासी को विक्रय किए जाने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा ।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	4– भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	